

प्ररूप 4
[नियम 5 (1) देखिये]

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना

प्रति

रिटर्निंग आफिसर,
भारत के राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचन ।

..... (पता)

का मैं, (नाम)

जो कि ऊपर कहे गए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूं, सूचना देता हूं कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूं ।

स्थान

.....

तारीख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

टिप्पण:- अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना का, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 6 (1) के अधीन अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उसके ऐसे प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, परिदत्त किया जाना अपेक्षित है ।